कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)

//अंतिम सार्वजनिक सूचना//

क्रं./न.पा.नि./भ.अ./404/2026 भिलाई, दिनांक 2/07/2026

कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग के पत्र क्रमांक 2052 दिनांक 13.06.2000 द्वारा मेसर्स बिल्टेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को ग्राम जुनवानी के ख.नं. 696/1–5, 724/1–4, 725/1–4, 726/1–3, 727/1–4, 725/1–4, 729/1–4, 730/1–3, 731/1–3, 732/1–2, 745/1,3,5 746/1–5, 747/1–3, 748/1–5, 749/1–5, 750/1–2, 733/4–5 कुल रकबा 22.62 एकड़ पर आवासीय (भूखण्डीय) विकास अनुज्ञा स्वीकृत की गई थी। स्वीकृत विकास अनुज्ञा में दर्शित शर्तों तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निबंधन एवं शर्तें) नियम, 1998 के नियम 10 में दर्शित प्रावधान अनुसार मेसर्स बिल्टेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कमजोर आय वर्ग (EWS) हेतु कुल योजना भूमि का 15% रकबा अर्थात 1.34 एकड़ भूमि आरक्षित रखा जाना था, जिसे मेसर्स बिल्टेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आज दिनांक तक नगरपालिक निगम भिलाई के नाम पर पंजीकृत नहीं कराया गया है तथा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 47 के प्रावधान अनुसार सामुदायिक खुला क्षेत्र कुल योजना क्षेत्र का 10% अर्थात 2.262 एकड आरक्षित रखा जाना था किन्तु कॉलोनाईजर द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है।

इस प्रकार मेसर्स बिल्टेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निबंधन एवं शर्तें) नियम, 1998 सहपठित छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम तथा नगरपालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तें) नियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, जिस पर पूर्व में जारी नोटिस दिनांक 02.02.2019, 14.10.2019, 03.13.2021, 10.04.2026 का संदर्भ देते हुए इस कार्यालय द्वारा EWS की भूमि निगम के नाम पर पंजीकृत कराने हेतु अंतिम सूचना पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका कोई जवाब प्राप्त नही होने एवं सुसंगत नियमों के निरंतर उल्लंघन से उपरोक्त कॉलोनी, अवैध कॉलोनी की श्रेणी में है।

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292–एफ (2) में प्रावधान किया गया है कि **"आयुक्त, अवैध कालोनी निर्माण की भूमि का प्रबंध अधिग्रहित करने के प्रयोजन के लिये स्थानीय समाचार पत्रों में 3 बार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा, उक्त क्रम में प्रथम सार्वजनिक सूचना क्रमांक 203 दिनांक 22.05.2026 एवं द्वितीय सार्वजनिक सूचना क्रमांक 314 दिनांक 10.06.2026 को प्रकाशन किया गया है। ऐसी सूचना के प्रकाशन के पश्चात् यदि किसी कॉलोनी निर्माण करने वाले या भू–खण्ड धारक से कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो आयुक्त द्वारा उस पर विचार किया जायेगा और यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो आयुक्त ऐसी भूमि का प्रबंध अधिग्रहित करेगा और उस क्षेत्र के लिये योजना बनायेगा तथा उसे ऐसी रीति तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन विकसित करेगा जैसी कि विहित किया जाये।"**

उपरोक्त तथ्यात्मक/वैधानिक स्थितियों पर समुचित विचारोपरान्त नगरपालिक निगम भिलाई द्वारा मेसर्स बिल्टेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को ग्राम जुनवानी के ख.नं. 696/1–5, 724/1–4, 725/1–4, 726/1–3, 727/1–4, 725/1–4, 729/1–4, 730/1–3, 731/1–3, 732/1–2, 745/1,3,5 746/1–5, 747/1–3, 748/1–5, 749/1–5, 750/1–2, 733/4–5 कुल रकबा 22.62 एकड़ में विकसित सूर्या विहार कॉलोनी एवं कॉलोनी में EWS हेतु आरक्षित भूमि, खसरा नंबर 745/1–5 रकबा 1.34 एकड़ का प्रबंध उपरोक्त अधिनियम 1956 की धारा 292–एफ (2) के अधीन अधिग्रहित किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त कॉलोनी/भूमि का प्रबंध निगम द्वारा अधिग्रहित किये जाने पर यदि किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथि के 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय के कक्ष क्रमांक 04 में स्वयं या प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है।

आयुक्त
नगरपालिक निगम,
भिलाई

क्रमशः..........02

पृ. क्रं./न.नि.भि./भ.अ./ 415 2026 भिलाई, दिनांक 02/07/2026

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला–दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. जनसंपर्क अधिकारी, नगरपालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जोन आयुक्त, जोन क. 01–नेहरू नगर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मेसर्स बिल्टेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, सूर्या विहार जुनवानी को सूचनार्थ।
7. कार्यालयीन सूचना पटल।

आयुक्त
नगरपालिक निगम,
भिलाई